न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्याः 58/2021 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2021/67

1. सर्वजीत कौर पुत्री श्री कृष्ण सिंह पत्नी दीदार सिंह जाति जट सिख निवासी दादूवाल तहसील वढशंकर जिला होशियापुर जरिये मु.आम. सुखवीर सिंह पुत्र श्री गुरजीत सिह जाति जट सिख निवासी 24 पी एस तहसील रायसिंह नगर जिला श्रीगंगानगर।

— अपीलान्ट

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।
2. हरभजन सिंह पुत्र उधम सिंह जाति जटसिंख निवासी चक 24 पी.एस तहसील रायसिहनगर जिला श्रीगंगानगर।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट
श्री सुरेश मोहता अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2

निर्णय

दिनांक 08.12.2025

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 12.08.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– रेस्पोडेन्ट संख्या 2 हरभजनसिंह पुत्र उधमसिंह द्वारा तहसीलदार रायसिंहनगर के समक्ष एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर अपने पक्ष में वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर कर सार्वजनिक सूचना दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित की गई। सार्वजनिक सूचना प्रकाशन के बाद जरिये मुख्त्यारआम श्री सुखवीरसिंह पुत्र गुरजीतसिह द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई। तहसीलदार रायसिंहनगर ने श्री कृष्णसिंह पुत्र श्री छाजूराम के द्वारा अपनी कृषि भूमि चक 24 पीएस में मु.न 31 प.न 205/283 के किला नंबर 05 के 0.05 बिस्वा की हरभजन सिंह पुत्र उधमसिंह के पक्ष में करवाई गई वसीयत अनुसार नामांतरकरण दर्ज करने को आदेश पारित कर दिए। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर के उक्त आदेश दिनांक 16.06.2020 के विरूद्ध अपील अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत की गई। अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने अपीलांट के अपील को खारिज कर दिया। अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के उक्त आदेश दिनांक 12.08.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार रायसिहनगर के आदेश के विरूद्ध पेश की गई अपील में सुनवाई का क्षेत्राधिकार नही था। तहसीलदार रायसिंहनगर का निर्णय दिनांक 16.06.2020 विवादित प्रकरण था एवं दोनों पक्ष उपस्थित थे इस कारण अपीलाधीन आदेश

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

सेक्शन 135(2) के तहत पारित किया गया था इस कारण अपील संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष लाई होती थी। तहसीलदार ने कोई सुनवाई नही की थी। जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी उपस्थित पूर्व में हो चुके थे। तहसीलदार का आदेश शून्य था क्योकि प्रार्थी की गैर हाजरी में बहस सुने बिना ही निर्णय पारित किया। तहसीलदार का आदेश हाईकोर्ट व राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद कोविड़ काल में आदेश भी निरस्त योग्य है। अतः अपील अपीलाट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण निरस्त किया जावे व आदेश तहसीलदार निरस्त किया जावें या अन्या दादरसी मुफिद अपीलांट को प्रदान की जावें।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 2 पूर्व में वादगत भूमि पर कुटिया बनाकर रहता था। उक्त जगह अपीलांट के पिता के कहने पर खाली करने पर फिर अपीलांट के पिता द्वारा चक 24 पी.एस मुरब्बा नंबर 31 पत्थर नंबर 205/283 के 0.05 हैक्टयर की वसीयत करवाई थी। वसीयत का इंतकाल 26 वर्ष पश्चात तस्दीक करवाया गया है जबकि इंतकाल कभी भी तस्दीक करवाया जा सकता है। जहां तक अपीलांट का यह कहना है कि वसीयत रजिस्टर नही थी। वसीयत रजिस्टर होनी जरूरी नहीं है। वसीयतकर्ता द्वारा वसीयत करते वक्त शपथ—पत्र भी लिखकर दिया था इसलिए वसीयत में किसी प्रकार की कोई कानूनी कमी नहीं है। वसीयत कर्ता वसीयत दिवार पर लिखने पर भी मान्य है। वसीयत के आधार पर पारित इंतकाल के दिन कोई लांकडाउन नही था। अपीलांट द्वारा उक्त अपील मुझ प्रार्थी को अनावश्यक परेशान करने की नियत से की गई है। वसीयत अगर फर्जी है तो इनके सिविल कोर्ट में वाद पेश करना चाहिए था। अतः अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार को आदेश दिनांक 16.06.2020 एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2021 यथावत रखा जावे है। अतः अपील अपीलांट निरस्त फरमाई जावें।

4—हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर के समक्ष दोनों पक्ष उपस्थित होने के कारण उक्त प्रकरण तहसीलदार रायसिंहनगर के समक्ष विवादित था। उक्त प्रकरण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रायसिंहनगर के समक्ष विवादित होने के कारण प्रकरण राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) अन्तर्गत निर्णित हुआ है जिसकी अपील इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में होने से अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर को अपीलाधीन आदेश क्षेत्राधिकार के बाहर जाकर पारित किया गया है। अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर श्रीगंगानगर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.08.2021 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण को तहसीलदार रायसिंहनगर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 08.12.2025 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर